

पूरी रात रोशनी के समंदर में डूबी रही अहिल्या नगरी

इंदौर। अनंत चतुर्दशी की रात अहिल्या नगरी इंदौर रोशनी के समंदर में डूब गई। शहर की सड़कों पर जब रंग-बिरंगी, आधुनिक तकनीक और अद्भुत कलाकारी से सजी झांकियों का कारवां उतरा तो पूरा शहर मानो उत्सव में बदल गया। देर रात तक लाखों श्रद्धालु और दर्शक झांकियों की एक झलक पाने के लिए मार्ग के दोनों ओर डटे रहे। अनुमान है कि पांच लाख से अधिक लोगों ने इस ऐतिहासिक आयोजन को देखा और मिल मजदूरों की महीनों की मेहनत से तैयार हुई झांकियों की भव्यता को निहारा।

कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और निगम आयुक्त क्षितिज सिंहल ने खजराना झांकी का पूजन किया और चल समारोह का शुभारंभ किया। ठीक 6 बजे गणेश पूजन के बाद झांकियों का निकलना शुरू हुआ। जैसे-जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे शहर का उत्साह चरम पर पहुंचता गया। झिलमिलती रोशनियों, धार्मिक संदेशों, सामाजिक सरोकारों और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की निगाहें आकर्षक झांकियों एकटक लगी रहीं।

सड़कों पर लगा मेला
शहर के प्रमुख मार्गों पर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। जगह-जगह खान-पान के स्टॉल, श्रद्धालुओं की भीड़, बच्चों की उत्सुकता और भक्ति के रंग ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया। परिवारों ने रातभर झांकियों का आनंद लिया और इस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बने।

झांकियों के झिलमिलाते कारवां ने रचा नया इतिहास, देखने उमड़ा जनसैलाब

- दस लाख से ज्यादा आंखों ने निहारी मजदूरों की मेहनत की झांकी
- गणेश पूजन के बाद शाम को निकलनी शुरू हुई झांकियां



सात बजे चिकमंगलूर चौराहे पहुंची खजराना की झांकी

शाम को सात बजे ही खजराना की झांकी चिकमंगलूर चौराहे पर पहुंच गई जहां चंद्रमा पर बैठे गणेश को देखते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई तो वहीं रंगबिरंगी लाइट से सजे खजराना गणेश मंदिर की झांकी भी लोगों को लुभा रही थी। आगे आगे दर्जनो लड़कियां भगवा टीशर्ट में बनेटी घुमा रही थीं हालांकि इस समय दर्शक थोड़े कम थे।

जीवंत रही 103 साल की परंपरा

इंदौर की 103 वर्ष पुरानी झांकी परंपरा इस बार भी पूरे वैभव के साथ जीवंत नजर आई। वर्षों से मिल मजदूरों द्वारा तैयार की जाने वाली झांकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, कला और समर्पण का कोई विकल्प नहीं होता। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई झांकियां जब सड़कों पर उतरीं तो ऐसा लगा मानो आसमां से सितारों का कारवां धरती पर उतर आया हो।



अखाड़ों ने जमाया रंग बालिकों ने भी दिखाए पटे बनेटी के हाथ

झांकी मार्ग पर अखाड़ों ने हैरतअंगेज करतबों से ऐसा रंग जमाया कि दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। बालिकाओं ने तलवारबाजी, लाठी, भाला और पारंपरिक युद्ध कौशल के प्रदर्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। युवाओं ने अनुशासन, संतुलन और साहस का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक रोमांचक करतब दिखाए। झांकियों की भव्यता के बीच अखाड़ों के दमदार प्रदर्शन ने धार्मिक आयोजन में रोमांच और उत्साह का नया रंग घोल दिया।

पिता के कंधे पर बच्चे, मां की उंगली थामे नन्हे कदम

अनंत चतुर्दशी चल समारोह में शहर की सड़कों पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोई बच्चा पिता के कंधे पर बैठकर झांकियों का नजारा देख रहा था तो कोई मां की उंगली थामे भीड़ के बीच आगे बढ़ रहा था। झांकी मार्ग पर रंग-बिरंगे गुब्बारे, खिलौने, बाजे, हाथी-घोड़े और तरह-तरह की सजावटी सामग्री बच्चों को आकर्षित कर रही थी। कई जगह बच्चे पुंगी बजाते नजर आए। परिवारों के साथ पहुंचे बच्चों ने झांकियों के साथ मेले जैसा माहौल बना दिया। रोशनी और रंगों से सजे मार्ग पर बच्चों की चहक ने उत्सव की रौनक और बढ़ा दी।



निगम, स्वास्थ्य, फायर और बिजली विभाग मुस्तैद

नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और अन्य एजेंसियां भी पूरी रात मुस्तैद रहीं। सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भक्ति, कला, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं के अद्भुत संगम ने इस बार की झांकी यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। रोशनी से जगमगाती सड़कों पर निकली झांकियों का कारवां न केवल इंदौर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे गया, बल्कि यह भी साबित कर गया कि 103 वर्ष पुरानी यह परंपरा आज भी शहर की आत्मा में जीवित है।

चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था

आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सराहनीय रही। हजारों पुलिसकर्मियों, यातायात जवानों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे मार्ग पर लगातार निगरानी रखी। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा इंतजामों के कारण लाखों लोगों की मौजूदगी के बावजूद कहीं कोई बड़ी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली।

दिल्ली SIR की फील्ड वेरिफिकेशन पूरी

दिल्ली। अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में मतदाताओं का विवरण 2002 की पिछली SIR सूची से मैप नहीं हो पाया था। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों ने संबंधित मतदाताओं के विवरण और जरूरी दस्तावेजों का मौके पर जाकर सत्यापन किया। सत्यापन पूरा होने के बाद उनके

नाम अंतिम सूची में शामिल करने के लिए रखे गए हैं। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जानी है। निर्वाचन कार्यालय ने पहले भी स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान नोटिस जारी होने का मतलब अपने-आप मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं है; नाम हटाने से पहले संबंधित मतदाता

को सुनवाई और निर्धारित प्रक्रिया का अवसर दिया जाता है। 2002 के रिकॉर्ड से मैप नहीं होने पर मिले थे नोटिस। अधिकारियों के अनुसार, इनमें से अधिकांश प्रमुख मतदाताओं को दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए पिछले SIR के रिकॉर्ड से 'मैप नहीं होने' के कारण नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे

ज्यादातर प्रमुख मतदाता नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) समेत निर्वाचन अधिकारियों की टीमों ने संबंधित मतदाताओं के घर जाकर उनके विवरण का सत्यापन किया।

महंत परिवार ने विधि-विधान से किया गणपति विसर्जन

10 दिनों तक चला पूजा-अर्चना और भंडारा

कोरबा। शहर की सीएसईबी कॉलोनी में महंत परिवार द्वारा भगवान गणेश की 10 दिनों तक विधि-विधान एवं श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करने के बाद शुक्रवार को बड़े धूमधाम से गणपति विसर्जन किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्तिमय माहौल में विघ्नहर्ता भगवान गणेश को विदाई दी गई। महंत परिवार द्वारा गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। दस दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में सुबह-शाम भगवान गणेश की आरती की गई। परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। गणेश उत्सव के दौरान कॉलोनी में धार्मिक वातावरण बना



रहा और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक आयोजन में भाग लिया। गणेश उत्सव के समापन अवसर पर महंत परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसमें

सीएसईबी कॉलोनी सहित आसपास के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी।

आयोजन में परिवार के सदस्यों एवं सहयोगियों ने व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई।

इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए श्रद्धा और उत्साह के साथ ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हुए नजर आए।

भक्तिमय माहौल के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष पुनः भगवान गणेश के आगमन की कामना करते हुए विघ्नहर्ता को भावपूर्ण विदाई दी। महंत परिवार द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सहभागिता भी देखने को मिली। दस दिनों तक चले इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और गणेश उत्सव को भक्तिभाव के साथ मनाया।

इच्छा पूर्ण बालाजी सरकार के आशीर्वाद एवं सनातनी मंडली के सहयोग से बाबा गणपति गजानंद का भव्य कार्यक्रम संपन्न

इच्छा पूर्ण बालाजी सरकार के आशीर्वाद एवं समस्त सनातनी मंडली के सहयोग से बाबा गणपति गजानंद का भव्य धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा गणपति गजानंद के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किए।

पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। आयोजन को सफल बनाने में सनातनी मंडली के सदस्यों एवं सहयोगकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।

कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी चेतन मालवीय (त्यागी), डैनी मालवीय, सूरज चौहान, नवीन राजपूत, राजा भैया, पीयूष, नितिन दहू, लोकेश



मराठा, देवनारायण पवार (पप्पू), जितेंद्र चौहान (मां नर्मदा बोरवेल) एवं वंश सहित सभी सहयोगकर्ताओं ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने सभी

सहयोगियों, श्रद्धालुओं एवं सनातनी मंडली के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और बाबा गणपति गजानंद के आशीर्वाद से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका।

खार कलां में गणेश विसर्जन पर निकली भव्य झांकी, भक्तिमय हुआ पूरा गांव

पुनीत सेन

खंडवा। जिले के ग्राम खार कलां में गणेश विसर्जन के अवसर पर शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। गणेश प्रतिमा के विसर्जन से पहले गांव में भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। झांकी गांव के प्रमुख मार्गों से होकर निकली।

इस दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। गणपति बप्पा के जयकारों से गांव का वातावरण गुंज उठा। झांकी जहां-जहां से गुजरी, वहां लोगों ने श्रद्धा के साथ गणेश जी के दर्शन किए।

गणेश विसर्जन को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस धार्मिक



आयोजन में शामिल हुए। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा और गांव की गलियां भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं।

ग्रामीणों ने गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की और नम आंखों से भगवान गणेश को विदाई दी। झांकी के दौरान श्रद्धालुओं ने "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयकारे लगाए। गणेश विसर्जन के इस आयोजन ने पूरे खार कलां गांव को एकजुट कर दिया। दिनभर गांव में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा।

अनंत चतुर्दशी पर ठाकुर दा कैफे में हुई भव्य महाआरती, प्रसादी का वितरण

छह वर्षों से निरंतर की जा रही भगवान श्री गणेश की आराधना, रंजीत टाइम्स के नशा मुक्ति अभियान की पहल को भी सराहा

राजेश धाकड़

इंदौर। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर ठाकुर दा कैफे में भगवान श्री गणेश की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान कैफे परिवार एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। ठाकुर दा कैफे के संचालक गिरवर सिंह तोमर ने बताया कि कैफे परिवार द्वारा पिछले छह वर्षों से लगातार भगवान श्री गणेश की आराधना पूरे तन, मन और धन से की



जा रही है। गणेशोत्सव के दौरान प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें गणेश भक्त उत्साहपूर्वक शामिल होते

हैं। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की आराधना के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ समाज में आपसी भाईचारे और

सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देने का प्रयास किया जाता है।

इस अवसर पर इंदौर के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रंजीत टाइम्स द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान की भी चर्चा हुई। ठाकुर दा कैफे परिवार के सदस्यों ने रंजीत टाइम्स की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए अभियान को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। परिवार के सदस्यों ने कहा कि नशे के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है। रंजीत टाइम्स के नशा मुक्ति अभियान की पहल पर शुभकामनाएं देने वालों

में गिरवर सिंह तोमर, सोनू शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, जीवन सिंह तोमर, जयपाल सिंह तोमर, शिवांश सिंह तोमर, कुंवर कार्तिकेय सिंह चौहान, कुंवर हेमंत सिंह चौहान, अभिषेक राजपूत, संदीप भैया, तुषार व्यास, तुषार कावलकर, विश्वनाथ व्यास, माही राय एवं पूजा तोमर सहित ठाकुर दा कैफे परिवार के सदस्य शामिल रहे। महाआरती के दौरान पूरा वातावरण 'गणपति बप्पा मोरया' के जयघोष से भक्तिमय बना रहा। आयोजन के अंत में भगवान श्री गणेश से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई।

तीन साल पुराना सरकारी आदेश, अब भी इंतजार में पत्रकार सुरक्षा कानून!

मोहन जी, अब तो अमल कर लो... कहीं ऐसा न हो कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ ANI और PTI तक के ही मुख्यमंत्री रह जाएं

राजेश धाकड़

25 सितंबर 2023 को मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग ने बाकायदा आदेश जारी कर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए गठित समिति में वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव को सदस्य नामांकित किया था। सरकार का आदेश निकला, समिति बनी, बैठक हुई और उसके बाद मामला ऐसा शांत हुआ जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं, किसी सरकारी फाइल को ही सुरक्षा दे दी गई हो। तीन साल गुजर गए, लेकिन पत्रकार आज भी उसी सवाल के साथ खड़ा है आखिर वह कानून आएगा कब, जिसका आदेश सरकार ने खुद जारी किया था? मोहन यादव जी, यह सवाल किसी विपक्षी दल का नहीं है। यह सवाल

आपके ही शासन के उस आदेश का है, जो आज भी दस्तावेज बनकर मौजूद है। आदेश की तारीख साफ है, समिति का गठन साफ है और पत्रकार सुरक्षा कानून का उद्देश्य भी साफ है। अब अगर कुछ साफ नहीं है तो सिर्फ यह कि उस आदेश के बाद आगे क्या हुआ? यही वह सवाल है जिसे अब टालने के बजाय सरकार को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।

पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत पर सरकार ने समिति बनाई थी। विधानसभा में भी इस विषय पर सवाल उठ चुका है। सरकार ने बताया कि समिति की बैठक 5 अक्टूबर 2023 को हुई थी और आगे की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। लेकिन पत्रकार के लिए सवाल यह है कि जानकारी आखिर कितने साल तक एकत्रित होती रहेगी? सरकार

जब सड़क बनाती है तो समय सीमा तय होती है। पुल बनाती है तो समय सीमा तय होती है। भवन बनाती है तो समय सीमा तय होती है। योजना लागू करती है तो बजट और समय सीमा तय होती है। फिर पत्रकार सुरक्षा कानून की फाइल के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं? और यहीं से सवाल थोड़ा कड़वा हो जाता है। मोहन जी, मुख्यमंत्री को सिर्फ वही खबरें नहीं सुननी चाहिए जो ANI और PTI से आती हैं।

उन्हें उस पत्रकार की खबर भी सुननी चाहिए जो गांव में बैठकर सरकारी स्कूल की छत गिरने की खबर करता है। उस रिपोर्टर की आवाज भी सुननी चाहिए जो राशन की दुकान में गरीब का हक मारे जाने पर सवाल उठाता है। उस पत्रकार की आवाज भी सुननी चाहिए जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की खबर

लिखता है। उस रिपोर्टर की आवाज भी मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ दस्तावेज लेकर खड़ा होता है। क्योंकि लोकतंत्र की असली खबर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलती। वह जमीन पर मिलती है। और जमीन की खबर लिखने वाला पत्रकार अक्सर अकेला होता है। उसके पास न बड़ा चैनल होता है, न कानूनी टीम, न सुरक्षा का घेरा। उसके पास अगर कुछ होता है तो एक कैमरा, एक कलम और सवाल पूछने की हिम्मत।

इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून केवल पत्रकारों की सुविधा का सवाल नहीं है। यह उस व्यवस्था का सवाल है जिसमें सरकार से सवाल पूछने वाले व्यक्ति को यह भरोसा होना चाहिए कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। सरकार ने समिति बनाई।

सीएम ने जेट के बाद 225 करोड़ में खरीदा हेलिकॉप्टर, 9 यात्री बैठ सकेंगे

पायलटों की कनाडा में ट्रेनिंग, हर 50 किमी पर बनेंगे हेलिपैड

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने करीब 225 करोड़ रुपए का एयरबस ACH160 हेलिकॉप्टर खरीदा है। वहीं, करीब 350 करोड़ रुपए का बॉम्बार्डियर चैलेंजर-3500 जेट बेड़े में शामिल होने वाला है। जेट की डिलीवरी सितंबर के आखिरी तक हो सकती है। नए हेलिकॉप्टर और जेट का प्रदेशभर में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए सरकार हेलिपैड और हवाई पट्टियां विकसित करेगी। सरकार अपने हवाई बेड़े को हाइटेक बनाने के साथ एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।



हर 50 किलोमीटर पर हेलिपैड बनाने की तैयारी

प्रदेश में अभी करीब 250 हेलिपैड बताए जाते हैं। सरकार अगले दो साल में करीब 63 नए हेलिपैड बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इनका नेटवर्क हर 50 किलोमीटर के दायरे में बनाने की योजना है। इससे मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी के लिए जिलों तक पहुंचना आसान हो सकता है। अभी कई दौरे में पहले विमान से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, फिर वहां से हेलिकॉप्टर या सड़क के रास्ते आगे जाना होता है। पर्याप्त हेलिपैड बनने के बाद संबंधित क्षेत्र के नजदीक हेलिकॉप्टर से सीधे पहुंचने का विकल्प मिलेगा।

अमेरिकी जियोलॉजिस्ट ने गाया 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान'

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, 15 लाख से ज्यादा व्यूज, भाजपा विधायक ने भी शेयर किया

भोपाल (नप्र)। अमेरिकी जियोलॉजिस्ट और वैदिक मेडिटेशन शिक्षक एलेक सोडरबर्ग ने फिल्म 'हनुमान अंश' का भजन 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई' अपनी आवाज में गाया है। उन्होंने खुद इकतारा तैयार किया और उसी की धुन पर भजन गाया। एलेक ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

खुद बनाया इकतारा, फिर गाया भजन- वीडियो में एलेक तानपुरे/एकतारे जैसे पारंपरिक तार वाले वाद्य के साथ भजन गाते नजर आते हैं। उन्होंने खुद इकतारा तैयार किया और इसके बाद सुनील लोधी के गाए भजन को अपनी आवाज में प्रस्तुत किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



यूजर्स उनके गायन और भक्ति भाव की तारीफ कर रहे हैं।

भाजपा विधायक ने शेयर किया वीडियो- भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एलेक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- मैंने तेरे ही भरोसे, हनुमान भजन की गुंज आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी सुनाई दे रही है। यह सनातन

भक्ति की उस शक्ति का प्रमाण है, जो भाषा और सीमाओं से परे हर हृदय को जोड़ती है। 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई' का मूल वर्जन भजन गायक सुनील लोधी ने गाया और कंपोज किया है। यह भजन फिल्म 'हनुमान अंश' में शामिल है और नीम करौली बाबा तथा हनुमान भक्ति की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है।

बौद्ध मठ का पता, 50 पासपोर्ट में सिर्फ तीन गवाह दूसरे राज्यों में भी पहुंची एसटीएफ की जांच, 70 नकली पासपोर्ट मिले

भोपाल (नप्र)। एसटीएफ ने संगठित फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच में करीब 70 फर्जी पासपोर्ट का पता लगाया है। ये पासपोर्ट राज्य में अलग-अलग पतों का इस्तेमाल करके बनवाए गए थे। अब जांच में बड़े नेटवर्क और अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

छह संदिग्ध हुए गिरफ्तार- एसटीएफ के डीआईजी राहुल लोधा ने बताया कि अब तक छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और फर्जी पासपोर्ट बनाने और हासिल करने के पीछे पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुस्तरीय मामला है और जांच अभी भी चल रही है। अब तक छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो दिन पहले की गई ताजा गिरफ्तारी भी शामिल है।

ये लोग हुए हैं गिरफ्तार- ताजा गिरफ्तारी 23 सितंबर को गयाप्रसाद गौतम की हुई थी। इससे पहले 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच रियाल चौधरी उर्फ भते मेलानंद, विप्लव अधिकारी, प्रियन राय, जॉय चौधरी और नसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया था।

बौद्ध मठों के पते का हुआ इस्तेमाल

एसटीएफ के अनुसार जांच में सामने आया है कि पासपोर्ट आवेदनों में बौद्ध मठों के पतों का बार-बार इस्तेमाल किया गया था। ऐसे मामले भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, डबरा और पाहुर्ना में सामने आए हैं। एसटीएफ ने भोपाल के अन्नगर से जुड़े 40 मामले, डबरा से 17, बैतूल के आमला बौद्ध मठ से 11 और छिंदवाड़ा-पाहुर्ना से 2 मामले चिह्नित किए हैं।

तीन लोग बार-बार बने गवाह

गवाहों के इस्तेमाल में भी एक बड़ा पैटर्न सामने आया है। अब तक मिले 70 फर्जी पासपोर्ट में से करीब 50 मामलों में तीन लोग (गया प्रसाद गौतम, गुलाब राय और रियाल चौधरी उर्फ भते मेलानंद) गवाह के तौर पर पेश हुए थे। कई पासपोर्ट आवेदनों में उनके मोबाइल नंबर भी दर्ज मिले हैं।

एक ही पते पर कैसे बने पासपोर्ट

एक ही मठ के पते और गवाहों का बार-बार इस्तेमाल जांच का अहम बिंदु बन गया है। एसटीएफ यह भी जांच कर रही है कि पासपोर्ट आवेदन कैसे प्रोसेस हुए। एसटीएफ डीआईजी राहुल लोधा ने बताया कि आरोपियों ने भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, डबरा और पाहुर्ना में मठों के पतों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाए। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से पासपोर्ट तैयार किए गए थे। पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

श्राद्ध पक्ष में सहजयोग ध्यान के माध्यम से पितरों की मुक्ति संभव

हिन्दू धर्म में माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए संतान द्वारा विधि विधान से तर्पण करने का नियम है। जन्मदाता माता-पिता को मृत्यु-उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्णपक्ष अमावस्या तक के सोलह दिनों को पितृपक्ष कहते हैं जिसमें सभी अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं और अपने कर्म से उनके प्रति अपनी आस्था दर्शाते हैं।

ऐसी मान्यता है कि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्माण्ड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। सहज योग एक ऐसी वैज्ञानिक ध्यान पद्धति

है जिसमें सारे विधि विधान ध्यानावस्था में ही कर लिये जाते हैं। जब मानव की सहज योग ध्यान पद्धति से कुंडलिनी जागृत होती है और जब ईश्वर से एकाकारिता प्रस्थापित होती है, तब हाथों से बहता चैतन्य हमारे सारे आध्यात्मिक और आत्मिक कार्य सुचारु रूप से संपन्न करने में हमारी सहायता करते हैं। ध्यानावस्था के दौरान जब हमारे हृदय चक्र के दाहिनी ओर जहाँ श्री राम और सीता माता का स्थान है, वहाँ हमें भारीपन, दर्द या असंतुलन



ऐसे ही, श्राद्धपक्ष में यदि किसी साधक को लगता है कि उनपर पितृदोष है तब सुबह के ध्यान

महसूस होता है तब सहज योगी यह जान लेते हैं कि उनके माता पिता चाहे वो जीवित हो या उन्होंने शरीर छोड़ दिया हो, वे किसी न किसी बेचैनी से ग्रस्त हैं तब सहज योगी दाहिने हृदय पर उनकी स्वस्थता की कामना करते हुये अपनी हथेली से उनपर चैतन्य प्रवाहित करते हैं, श्री माताजी से प्रार्थना करते हैं और मंत्र बोलते हैं।

के उपरांत 16 दिनों तक ये प्रार्थना नियमित करते हैं कि, 'हे परमपिता परमेश्वर हमारे समस्त पितृ पूर्वजों को आप सद्गति दीजिये, उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थापित कीजिए।' कई बार पितर अपनों बच्चों की चिंता में भी अशांत रहते हैं इसीलिए पितरों से भी प्रार्थना करते हैं कि 'आप हमारी चिन्ता ना करे हम माँ आदिशक्ति के श्रीचरणों में पूर्ण रूप से सुखी और संतुष्ट हैं।' सहजयोगियों के रोज इस प्रकार की प्रार्थना के उपरांत अन्य किसी भी अन्य श्राद्धकर्म की आवश्यकता नहीं रहती। सहजयोग ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है। सहजयोग की अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त कर सकते हैं।

‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सरस्वती शिशु मंदिर बोदरली में गूंजा राष्ट्रगीत, 650 से अधिक लोगों ने किया सामूहिक गायन



बोदरली, मध्य प्रदेश, India

7925+mjv, पिपलगांव, बोदरली, मध्य प्रदेश 450331, India

Lat 21.251872° Long 76.358766°

Friday, 25/09/2026 11:10 AM GMT +05:30

महेन्द्र मालवीय
रणजीत टाइम्स

बुरहानपुर :- राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक एवं पावन अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर बोदरली के प्रांगण में एक भव्य और गरिमामय सामूहिक गायन कार्यक्रम का सफल आयोजन संपन्न हुआ। संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक ही समय पर आयोजित इस विशेष अभियान के तहत ठीक प्रातः 11:00 बजे पूरा विद्यालय परिसर देश भक्ति के रंगों में सराबोर हो उठा। उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर, एक लय और एक ताल में 'वंदे मातरम्' का गायन कर भारत माता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा अर्पित की।

पूजन एवं स्वागत से हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ

अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात संयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा मंचासीन अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

प्रमुख अतिथियों एवं प्रबुद्धजनों का मार्गदर्शन

इस राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम की अध्यक्षता जगन्नाथ महाजन ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता घनश्याम शाह ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के ऐतिहासिक महत्व, त्याग और स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में योगेश तायडे अतिथि के रूप में तथा हिरा चौहान कार्यक्रम साक्षी के रूप में उपस्थित रहे। इस सफल आयोजन के संयोजक

उदयसिंह राठौड़ रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल एवं प्रभावी मंच संचालन पूर्व प्रधानाचार्य अरुण जी पवार द्वारा किया गया।

650 से अधिक राष्ट्रभक्तों की विशाल उपस्थिति

इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए क्षेत्र के अपार जनसमूह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में विद्यालय के भैया-बहन, आचार्य परिवार, अभिभावकगण, पूर्व छात्र युवा मंडल, महिला मंडल तथा संयोजक मंडल के सदस्यों सहित लगभग 650 लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। एक साथ सैकड़ों कंठों से निकले वंदे मातरम् के घोष से संपूर्ण बोदरली क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।

रणजीत टाइम्स की खास रिपोर्ट इंदौर में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई जारी, छोटी कुम्हार खाड़ी में सुमित क्लीनिक सील



खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। शहर में बिना आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता एवं दस्तावेजों के चिकित्सा सेवाएं संचालित किए जाने की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र स्थित छोटी कुम्हार खाड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुमित क्लीनिक को सील किया।

जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि डॉ. सुमित मंडल द्वारा क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी के संज्ञान में मामला लाया गया, जिसके बाद विभाग द्वारा विशेष टीम गठित की गई। टीम जब मौके पर पहुंची तो, विभाग के अनुसार, क्लीनिक में मरीजों का उपचार किया जा रहा था और

कुछ मरीजों को ड्रिप लगाए जाने की स्थिति सामने आई। टीम ने क्लीनिक संचालक की चिकित्सकीय डिग्री, पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मांगी। कार्रवाई के दौरान क्लीनिक संचालक मौके पर मौजूद नहीं मिला और विभागीय जानकारी के अनुसार वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्लीनिक में चिकित्सा सेवाएं किसकी अनुमति और किन नियमों के तहत संचालित की जा रही थीं तथा संबंधित व्यक्ति के पास चिकित्सा सेवाएं देने के लिए आवश्यक योग्यता एवं दस्तावेज मौजूद थे या नहीं।

रणजीत टाइम्स की कार्यवाही -हम दिखाएंगे वही, जो जांच और कार्रवाई में सामने आएगा।

हत्या में सेशन कोर्ट नहीं कह सकता- 'बाकी पूरी ज़िंदगी जेल में रहना होगा', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नई दिल्ली। हत्या के मामलों में सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि सेशन कोर्ट किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा तो दे सकता है, लेकिन वह यह अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता कि दोषी अपनी प्राकृतिक ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक जेल में ही रहेगा और उसे वैधानिक रिमिशन का लाभ नहीं मिलेगा। 24 सितंबर 2026 के Naval Kishore बनाम State of Punjab मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 302 के तहत "imprisonment for life" और ऐसा विशेष आदेश जिसमें दोषी को प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रखने तथा रिमिशन से बाहर करने की बात हो— दो अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। सेशन कोर्ट को दूसरी तरह की



विशेष सजा देने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य आजीवन कारावास का अर्थ कानून में दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास हो सकता है, लेकिन उस सजा पर लागू वैधानिक रिमिशन और कम्यूटेशन की व्यवस्था अलग विषय है।

नियुक्ति करने वाले अधिकारी के बराबर रैंक का है हटाने वाला अधिकारी तो Article 311 की रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी और सेवा-सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 311(1) की सुरक्षा तभी लागू होती है, जब कर्मचारी को हटाने वाला अधिकारी उस अधिकारी से रैंक में नीचे हो, जिसने कर्मचारी की नियुक्ति की थी। यदि हटाने वाला अधिकारी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के समान रैंक का है, तो केवल इस आधार पर हटाने की कार्यवाही Article 311 के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह फैसला Union of India & Ors. v. Ramdhani Prasad मामले में दिया। मामला रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के एक रक्षक की सेवा समाप्ति से जुड़ा था। कर्मचारी को 1979 में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट ने उसे नियमित रक्षक के रूप में नियुक्त किया। बाद में 72 दिन की स्वीकृत छुट्टी से अधिक अनुपस्थित रहने पर



विभागीय कार्यवाही हुई और एडजुटेंट ने 1983 में उसे सेवा से हटा दिया।

कर्मचारी ने दावा किया कि उसकी नियुक्ति कमांडेंट/चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने की थी और एडजुटेंट अधीनस्थ अधिकारी था, इसलिए Article 311(1) के तहत हटाने का आदेश वैध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसके पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड और संबंधित RPF नियमों की समीक्षा के बाद कहा कि वास्तविक नियुक्ति असिस्टेंट कमांडेंट के आदेश से हुई थी और एडजुटेंट उस अधिकारी से रैंक में

नीचे नहीं था। इसलिए संवैधानिक रोक लागू नहीं होती। कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए सेवा से हटाने का आदेश बहाल कर दिया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी अधिकारी को नियमों के तहत अनुशासनात्मक या नियुक्ति संबंधी शक्ति सौंप दिए जाने मात्र से उसकी पदगत वरिष्ठता या रैंक नहीं बदल जाती। यानी Article 311 के सवाल में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि किस अधिकारी के पास कौन-सी शक्ति है; अधिकारी की वास्तविक हायरार्किकल रैंक भी निर्णायक है।

CJP प्रदर्शन में महिला की फोटो से AI छेड़छाड़ का आरोप, जंतर-मंतर के पोस्टरों को लेकर FIR

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से जुड़ा एक मामला अब दिल्ली पुलिस की साइबर जांच तक पहुंच गया है। एक 25 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी निजी तस्वीर को AI और फेस-स्वैप तकनीक के जरिए मॉर्फ कर आपत्तिजनक रूप दिया गया और बाद में इस तस्वीर का इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान बैनर-पोस्टर में किया गया। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि उसकी



तस्वीर को बिना अनुमति डिजिटल रूप से बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जोड़ा गया। शिकायत के मुताबिक इस कथित मॉर्फेड तस्वीर को बड़े पोस्टरों और बैनरों पर प्रदर्शित किया गया तथा प्रदर्शन के दौरान उसके खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे और टिप्पणियां की गईं। इन दृश्यों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का आरोप भी

लगाया गया है।

शिकायत में CJP से जुड़े अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम लिए गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल FIR में आरोपियों को अज्ञात बताया है और इन चारों को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि तस्वीर तैयार करने, पोस्टर छापने, प्रदर्शन में प्रदर्शित करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की पूरी कड़ी की जांच की जा रही है। इससे पहले भी जंतर-मंतर के CJP प्रदर्शन से जुड़े AI-मैनिपुलेटेड फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की रिपोर्ट सामने आई थी।

आबकारी विभाग के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर

बिना लाइसेंस टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती सोम डिस्टिलरीज, याचिका खारिज

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बहुचर्चित शराब निर्माता कंपनी सोम डिस्टिलरीज को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आबकारी विभाग के फैसले को सही ठहराते हुए कंपनी की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने नए शराब टेंडरों में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी कंपनी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती। दरअसल, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने 18 जून 2026 को एक बड़ा आदेश

जारी करते हुए सोम डिस्टिलरीज के शराब लाइसेंस के नवीनीकरण को निरस्त कर दिया था। आबकारी विभाग की इस कड़ी कार्यवाही के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था और लाइसेंस निरस्तीकरण को रद्द करने तथा आगामी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सोम डिस्टिलरीज की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जिन व्यक्तियों को आपराधिक मामले में सजा हुई है, वे कंपनी के अधिकृत कर्मचारी नहीं थे। इसलिए उनके कृत्यों के आधार पर पूरी कंपनी का लाइसेंस निरस्त करना और टेंडर से बाहर करना अनुचित है।

23 साल बाद प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर कोर्ट पहुंचे हेडमास्टर पर हाईकोर्ट सख्त

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

23 साल बाद प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर कोर्ट पहुंचे हेडमास्टर पर हाईकोर्ट सख्त: याचिका खारिज कर लगाया 10 हजार जुर्माना

जबलपुर कलेक्टर द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता हेडमास्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित विभाग



यदि चाहे तो हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर सकता है। मामला हेडमास्टर ओमप्रकाश सिंह से जुड़ा हुआ है।

ओमप्रकाश सिंह वर्ष 1993 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और वर्ष 2003 में पदोन्नत होकर हेडमास्टर (प्रधान पाठक) बने। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, जिसके आधार पर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर उपयंत्री और बाद में प्रभारी सहायक यंत्री का प्रभार दिया गया था। वह पिछले 23 सालों से लगातार प्रतिनियुक्ति पर

ही काम कर रहे थे। जबलपुर कलेक्टर ने प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत 28 अप्रैल को ओमप्रकाश सिंह की वर्षों पुरानी प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी थी और उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजने के आदेश जारी किए थे। कलेक्टर के इस आदेश को चुनौती देते हुए ओमप्रकाश सिंह ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

राजनीति में अब भाषण नहीं, गाली का प्राइम टाइम है!

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

कभी राजनीति में भाषण लिखे जाते थे, अब शायद गालियां लिखी जाती हैं। पहले नेता जनता को बताते थे कि देश कैसे बदलेगा, अब मंच पर यह तथ्य होता दिखाई देता है कि विरोधी को किस नए नाम से बुलाया जाए। लोकतंत्र बचा रहे या न रहे, लेकिन सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए! इंदौर में छात्रों के कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री की मिमिक्री को लेकर विवाद उठा। किसी नेता की मिमिक्री अपने आप में लोकतांत्रिक हास्य का हिस्सा हो सकती है। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक मंच पर हास्य और व्यक्तिगत अपमान के बीच की रेखा ही मिट जाए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष—माइक हाथ में आते ही मर्यादा का माइक्रोफोन बंद नहीं होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि राजनीतिक विरोध अब विचारों की लड़ाई कम और शब्दों की कुश्ती ज्यादा बनता जा रहा है। एक पक्ष विरोधी को चोर कहता है, दूसरा जवाब में कुछ और कहता है। तीसरा दोनों के वीडियो काटकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और चौथा एआई से ऐसा वीडियो बना देता है जिसमें नेता ने वह भी कह दिया होता है जो उसने कभी कहा ही नहीं!

वाह लोकतंत्र! नीति पर बहस के लिए दस्तावेज चाहिए, लेकिन गाली के लिए सिर्फ मोबाइल चाहिए। सोशल मीडिया के राजनीतिक आईटी सेल इस नई राजनीति के सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं। सुबह बयान आता है, दोपहर तक मीम बन जाता है, शाम तक वीडियो वायरल और रात तक हजारों लोग उसे सच मानकर लड़ रहे होते हैं। तथ्य बेचारा कोने में बैठकर सोचता रहता है—मेरी बारी कब आएगी?

विडंबना यह भी है कि हर दल मर्यादा की दुहाई तब देता है जब गाली उसके नेता को दी जाती है। अपने पक्ष के नेता पर वही शब्द पड़ें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद आती है और विरोधी पर पड़ें तो लोकतंत्र की हत्या!

यही दोहरा मापदंड राजनीति को जहरीला बनाता है। बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक प्रदर्शनों में आपत्तिजनक नारे और पोस्टर सामने आने की खबरें आती हैं। किसी नेता के परिवार पर हमला हो, प्रधानमंत्री पर हो, विपक्ष के नेता पर हो या किसी महिला नेता पर—गाली को राजनीतिक हथियार बनाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। भीड़ की आवाज बड़ी हो सकती है, लेकिन वह अपने आप में तर्क नहीं बन जाती। और अब एआई ने खेल और आसान कर दिया है। कल तक फोटोशॉप था, आज डीपफेक और जनरेटिव एआई है। कल किसी नेता के बयान का गलत अर्थ निकाला जाता था, आज उसके मुंह में पूरा बयान डाला जा सकता है। यानी भविष्य में शायद चुनाव प्रचार का नया नारा होगा—“जो कहा नहीं, वह भी दिखाएंगे!” राजनीति में कटाक्ष रहना चाहिए, व्यंग्य रहना चाहिए, सत्ता से सवाल होने चाहिए और विपक्ष को सरकार की आलोचना का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन आलोचना और अपमान एक चीज नहीं हैं। जनता को नेताओं से कविता नहीं चाहिए। उसे रोजगार, शिक्षा, सड़क, मंहगाई, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास पर जवाब चाहिए। मगर राजनीति का नया मनोरंजन उद्योग इन सवालों से बचने का शानदार तरीका खोज चुका है—मुद्दे कठिन हों तो व्यक्ति पर हमला करो।

इसलिए सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है। सवाल उन सभी से है जो मंच पर मर्यादा भूल जाते हैं, उन सभी आईटी सेल से है जो नफरत को कंटेंट बनाते हैं और उन सभी समर्थकों से भी है जो अपने नेता की हर गाली को राष्ट्रहित और विरोधी की हर बात को देशद्रोह समझने लगते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि नेता एक-दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जनता भी अब उनकी भाषा में एक-दूसरे से लड़ने लगी है। राजनीति में प्रतिद्वंद्वी को हराइए, विचार को हराइए, चुनाव में वोट मांगिए—लेकिन भाषा को इतना मत गिराइए कि अगली पीढ़ी लोकतंत्र को बहस नहीं, गाली की प्रतियोगिता समझने लगे। आखिर संसद और सड़क के बीच फर्क इतना तो बचा रहना चाहिए कि दोनों जगह माइक होने के बावजूद भाषा अलग सुनाई दे।

बहुमत सरकार को जनादेश देता है, हर सवाल पर अंतिम अधिकार नहीं



रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नई दिल्ली। चुनाव में बहुमत हासिल करना सरकार को शासन करने का संवैधानिक अधिकार देता है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ यह नहीं कि सरकार देश के हर महत्वपूर्ण सवाल पर अकेले अंतिम फैसला कर सकती है। संसद की मूल भूमिका ही यही है कि कानून बनने से पहले उस पर चर्चा, बहस और संसदीय प्रक्रिया के जरिए अलग-अलग मत सामने आए। संसद की आधिकारिक जानकारी के अनुसार किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति से गुजरना होता है। संसद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आबादी, क्षेत्र, राज्यों और राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व एक ही संस्था में समेटना संभव नहीं है। लोकसभा जनता का सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व का मंच है। संविधान ने संसद की शक्तियों को भी संविधान, मौलिक अधिकारों और केंद्र-राज्य शक्तियों के बंटवारे की सीमाओं में रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने में मुश्किल क्या है? जवाब केवल सीटें बढ़ाने का नहीं है। लोकसभा की सीटों का राज्यों के बीच बंटवारा और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्समायोजन जनगणना और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में इसका ढांचा दिया गया है और 2026 के बाद की पहली प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों से जुड़ी विशेष व्यवस्था भी मौजूद है। इसलिए बहस सिर्फ “कितनी सीटें हों” की नहीं, बल्कि किसे कितना प्रतिनिधित्व मिले, राज्यों के बीच संतुलन कैसे बना रहे और संसद जनता की विविध आवाजों को कितनी प्रभावी जगह दे-इस व्यापक सवाल की है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा-21 साल के वनवास के बाद वापसी

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

आज से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा बस की शुरुआत हो रही है। लगभग 21 साल पहले यही बस सेवा “म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम” या (एमपीएसआरटीसी-MPSRTC) के नाम से चलती थी। ऐसे कुछ अधिकारियों ने जिन्होंने कभी इन बसों में सफर नहीं किया था, एयर कंडीशनड कमरे में बैठ कर गरीब लोगों का दर्द समझे बिना इसे घाटे का सौदा बता कर बंद कर दिया था।

शायद उस दिन फाइल पर लिखा गया था - निगम घाटे में है और बसों की फाइल बंद। बसें कबाड़ में बिक गईं। पर उस फाइल के साथ ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के गरीब की सुगम जिंदगी भी नर्क होकर बंद हो गई। इन बसों में बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहती थी। एक बात और थी कि इन बसों में माननीय सांसद व विधायक के लिए भी

ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे की तीन सीट रिजर्व रहती थी हालांकि वह माननीय उस सीट पर कभी भी बैठे नहीं। यदि बैठे होते तो आम जनता का दर्द समझ सकते और यह बसें बन्द नहीं होतीं। सरकारी बस बंद हुई और प्राइवेट डगामार भंगार बसों का स्वर्णकाल शुरू हुआ। कुछ बसों में कभी कभी सफर करने पर हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता था। बस चलने और पहुँचने का टाइम-टेबल खत्म, किराया मनमाना, भीड़ ऐसी कि 50 सीटर बस में 150 लोग, मुर्गा मुर्गी, बकरी और अन्य सामान के साथ भर कर सफर करने के लिए मजबूर। मगर एक खास बात यह जरूर थी कि प्राइवेट बस संचालकों ने अपनी बसों पर मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जगह पर मध्यप्रदेश सड़क परिवहन लिखना शुरू किया ताकि दूसरे प्रदेश में उनकी बसों का चालान नहीं बने और दूसरे प्रदेश की पुलिस और आरटीओ उनसे वसूली ना कर सके। एक उदाहरण के लिए इंदौर-भोपाल 3 घंटे के सफर की जगह 6 घंटे का सफर। छात्र लटका, गरीब मजदूर और किसान

धक्का खाया, बूढ़ी अम्मा को सीट नहीं मिली। सरकारी बस में रियायती पास चलता था, रियायत मिलती थी, इज्जत भी मिलती थी। प्राइवेट बस में एक ही डायलॉग - “पैसा ला, नहीं तो उतर जा।” और गाली गलौज अलग से। अफसरों ने कहा था घाटा हो रहा है। घाटा तो सरकारी स्कूल में भी हो रहा है, सरकारी अस्पताल में भी हो रहा है, तो क्या सबको बंद कर देना चाहिए? नहीं ना।

पर बस बंद करना आसान था, क्योंकि उसमें अधिकांश गरीब और वंचित शोषित ही सफर करता था। और यह बसें सुदूर क्षेत्रों को शहर से जोड़ने का काम करती थी। अब लगभग 21 साल बाद वही बस नए नाम से लौटी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। बस वही है उसके पहिए वही, बस बोर्ड पर नाम बड़ा है। पहले नाम था मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसलिए बंद कर दिया। अब नाम है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। अब नाम में मुख्यमंत्री है, सुगम है, सेवा है, तो उनके फोटो भी रहेंगे, उदघाटन भी होगा, कोई इस सेवा को

बंद करने की हिम्मत भी नहीं करेगा प्राइवेट बस माफिया जो 21 साल से सिखा रहा था कि कैसे त्योहार पर किराया 100 से 300 करना है, कैसे ब्रेक फेल होने पर भी बस को तेज रफ्तार से एकसीडेंट होने तक भगानी है वह अब थोड़ा घबराएगा। गरीब के लिए सुगम वातानुकूलित बस की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो प्राथमिकता और सुगमता यह है कि उसकी बस समय पर आ जाए। उस स्थान पर भी आ जाए जहां प्राइवेट बस वाले घाटे के कारण अपनी बस उस स्थान से नहीं चलाते थे।

कंडक्टर “खुल्ले पैसे नहीं है” यह बहाना ना बनाए। छात्रों और छात्राओं को मासिक पास दिया जाए। बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, दिव्यांगों को रिजर्व सीट मिल जाए। और सबसे बड़ी सुगमता - इसे फिर घाटे के नाम पर बंद न कर दिया जाए। 21 साल देर से आई सुगम सेवा, पर आई तो सही। अब अपने कर्तव्य पथ पर चलते ही रहना, रुक मत जाना कहीं फिर से तुम अफसरों से हारकर।

फैटी लिवर में रोटी या चावल-किसे चुनें? जवाब सिर्फ एक शब्द में नहीं

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

फैटी लिवर होने पर सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ तेल-मसाले पर नहीं, बल्कि कुल कैलोरी, वजन, चीनी और रिफाईंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर देना जरूरी होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि रोज के भोजन में रोटी बेहतर है या चावल। विशेषज्ञों के अनुसार फैटी लिवर में रोटी या चावल दोनों पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं। फर्क उनकी मात्रा और किस तरह के अनाज



का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पड़ता है। मैदा या अत्यधिक रिफाईंड अनाज की जगह साबुत अनाज और ज्यादा फाइबर वाले विकल्प बेहतर हो सकते हैं। चावल खाते हैं तो मात्रा नियंत्रित रखना और संभव हो तो ब्राउन राइस जैसे कम रिफाईंड विकल्प चुनना मददगार हो सकता है। रोटी के मामले में भी बहुत ज्यादा घी,

मक्खन या तेल डालने से बचना चाहिए। प्लेट में केवल कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के बजाय सब्जियां, दाल, चना, पनीर या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोत शामिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैटी लिवर में वजन अधिक होने पर धीरे-धीरे वजन कम करना भी लिवर की सेहत में सुधार से जुड़ा है। इसलिए सवाल केवल "रोटी या चावल?" का नहीं, बल्कि पूरी डाइट के संतुलन का है। व्यक्ति की बीमारी की गंभीरता, वजन और दूसरी स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार डाइट अलग हो सकती है।

साइनस और जुकाम एक नहीं... सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है हरी इलायची

लक्षण मिलते-जुलते, लेकिन वजह अलग

चबाने से मिल सकते हैं ये फायदे

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नाक बंद होना, नाक बहना, छींक और सिर में भारीपन जैसे लक्षण दिखाई दें तो कई लोग तुरंत इसे साइनस की समस्या मान लेते हैं। जबकि हर जुकाम साइनस नहीं होता। दोनों में कुछ लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन इनके कारण और बीमारी का स्वरूप अलग हो सकता है। सामान्य जुकाम अक्सर वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसमें नाक बहना या बंद होना, छींक, गले में खराश, हल्की खांसी और कभी-कभी हल्का बुखार हो सकता है। अधिकांश मामलों में जुकाम कुछ दिनों में अपने आप ठीक होने लगता है। वहीं साइनसाइटिस में नाक और चेहरे के आसपास मौजूद साइनस की परत में सूजन आ



जाती है। इसके कारण नाक बंद होना, गाढ़ा नाक का स्राव, चेहरे या माथे के आसपास दबाव या दर्द और सूंघने की क्षमता कम होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। कई बार वायरल जुकाम के बाद भी साइनस में सूजन विकसित हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साइनस समस्या में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। कई मामले वायरल होते हैं और समय के साथ ठीक हो सकते हैं। इसलिए केवल नाक बंद होने या सिर भारी लगने पर खुद से एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें, बार-बार लौटें, बहुत तेज दर्द या बुखार हो या हालत बिगड़ती जाए, तो डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। यानी जुकाम को साइनस और साइनसाइटिस को सामान्य जुकाम समझना सही नहीं है।

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

हरी इलायची को आमतौर पर खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ खुशबू और स्वाद तक सीमित नहीं है। इसमें कई तरह के पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं और पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल पाचन से जुड़ी परेशानियों में भी किया जाता रहा है। इलायची चबाने से मुंह में ताजगी महसूस हो सकती है और इसकी सुगंध सांसों की दुर्गंध को कुछ समय के लिए कम करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भूमिका निभाते हैं।

कुछ लोगों को भोजन के बाद इलायची चबाने से पाचन बेहतर महसूस हो सकता है। इसमें मौजूद तेल और अन्य यौगिक पाचन तंत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं, हालांकि इसे किसी पाचन संबंधी बीमारी



इलायची खाने से क्या होता है?

का इलाज नहीं माना जा सकता। इलायची को सीमित मात्रा में सामान्य मसाले के रूप में लेना अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि केवल इलायची खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती और इसके स्वास्थ्य लाभों को लेकर उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण हर दावे को समान रूप से मजबूत समर्थन नहीं देते। इसलिए इसे संतुलित आहार का हिस्सा माना जा सकता है, किसी दवा या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं। खासकर अगर लगातार गैस, अपच, सांसों की दुर्गंध या पेट से जुड़ी समस्या बनी रहती है, तो उसके मूल कारण की जांच जरूरी है।

6 घंटे की नींद काफी है?

उम्र के हिसाब से बदलती है नींद की जरूरत

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

नींद शरीर और दिमाग को आराम देने के साथ-साथ याददाश्त, हार्मोन, इम्युनिटी और रोजमर्रा की कार्यक्षमता के लिए भी जरूरी है। लेकिन हर उम्र में नींद की जरूरत एक जैसी नहीं होती। इसलिए सिर्फ 6 घंटे सोना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त माना नहीं जा सकता।

विशेषज्ञों के मुताबिक नवजात शिशुओं को लगभग 14-17 घंटे, 4-11 महीने के शिशुओं को 12-16 घंटे और 1-2 साल के बच्चों को करीब 11-14 घंटे नींद की जरूरत होती है। 3-5 साल की उम्र में 10-13 घंटे, जबकि 6-12 साल के बच्चों के लिए 9-12 घंटे की नींद सामान्य रूप से पर्याप्त मानी जाती है। 13-18 साल के किशोरों को लगभग 8-10 घंटे सोना चाहिए। वहीं 18-60 साल के वयस्कों



के लिए कम से कम 7 घंटे की नियमित नींद की सलाह दी जाती है। 61-64 वर्ष की उम्र में करीब 7-9 घंटे और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र में 7-8 घंटे नींद पर्याप्त मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि 6 घंटे की नींद कुछ लोगों को पर्याप्त महसूस हो सकती है, लेकिन

अधिकांश वयस्कों के लिए नियमित रूप से सिर्फ 6 घंटे सोना अनुशंसित अवधि से कम है। अगर पर्याप्त समय बिस्तर पर बिताने के बावजूद दिनभर थकान, नींद या चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो नींद की गुणवत्ता और किसी संभावित स्वास्थ्य समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए।

दो बजे तक फोन, सात बजे का अलार्म-क्या हम स्लीप क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं?

रणजीत टाइम्स

ranjeettimes.com

रात के दो बजे तक फोन की स्क्रीन पर नजरें और सुबह सात बजे का अलार्म—कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में यह आदत सामान्य होती जा रही है। सोशल मीडिया, वीडियो, चैटिंग और लगातार नोटिफिकेशन नींद के समय को पीछे धकेलते हैं। समस्या तब बढ़ती है जब कम नींद को रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाता है। देर रात तक फोन इस्तेमाल करने से केवल सोने का समय ही प्रभावित नहीं होता। स्क्रीन की रोशनी और लगातार मानसिक उत्तेजना शरीर को आराम की स्थिति में जाने में बाधा डाल सकती है। इसके अलावा, फोन पर बिताया गया समय अक्सर सीधे सोने के समय को कम कर देता है। नतीजा—सुबह उठने पर थकान, दिन में नींद, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है।

वयस्कों को आमतौर पर नियमित रूप से कम से कम 7 घंटे की नींद की जरूरत होती है। हालांकि जरूरत व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और दिनचर्या के अनुसार बदल सकती है। लगातार नींद पूरी न होने पर कामकाज, मूड और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित



हो सकती है। इससे बचने के लिए सोने से कुछ समय पहले फोन को अलग रखना, हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना-जागना और रात में अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम करना मददगार हो सकता है। अगर पर्याप्त समय सोने के बावजूद लगातार नींद, खरटे, सांस रुकने जैसी समस्या या अत्यधिक दिन की थकान बनी रहे।

18 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश कर रहा रणजीत टाइम्स एवं फार्म हाउस वाला ग्रुप

प्रधान संपादक गोपाल गावंडे के नेतृत्व में इको-फ्रेंडली गणेश विसर्जन, “एक गणपति-एक पेड़” के संकल्प के साथ बप्पा को दी भावपूर्ण विदाई



इंदौर, 26 सितंबर 2026

रणजीत टाइम्स न्यूज़

रणजीत टाइम्स एवं फार्म हाउस वाला ग्रुप द्वारा पिछले 18 वर्षों से लगातार गणेश उत्सव के दौरान इको-फ्रेंडली गणेश विसर्जन की परंपरा निभाई जा रही है। इस वर्ष भी अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर पूरे उत्साह, श्रद्धा और सामाजिक सरोकार के साथ गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दी गई। रणजीत टाइम्स के प्रधान संपादक गोपाल गावंडे ने अपने परिवार, मित्रों, सहयोगियों तथा रणजीत टाइम्स एवं फार्म हाउस वाला ग्रुप की पूरी टीम के साथ गणपति बप्पा की पालकी निकाली। ढोल-नगाड़ों और “गणपति बप्पा मोरया” के जयघोष के बीच बप्पा को श्रद्धापूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर रणजीत टाइम्स की कार्यकारी संपादक रेणु कैथवास, संवाददाता दौलत सिंह पड़ौलिया,



एसोसिएट पार्टनर्स सहित रणजीत टाइम्स एवं फार्म हाउस वाला ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे।

पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन विशेष रूप से बनाए गए कुंड में इको-फ्रेंडली तरीके से किया गया। आयोजन के माध्यम से संदेश दिया गया कि



धार्मिक आस्था और परंपराओं के निर्वहन के साथ-साथ प्रकृति एवं जलस्रोतों की सुरक्षा भी हम सभी की जिम्मेदारी है। इस वर्ष आयोजन को और विशेष बनाते हुए “एक गणपति-एक पेड़” का संकल्प लिया गया। विसर्जित किए गए गणपति के नाम से पौधारोपण किया जाएगा, जिससे बप्पा की विदाई

के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचे। प्रधान संपादक गोपाल गावंडे ने कहा कि रणजीत टाइम्स एवं फार्म हाउस वाला ग्रुप पिछले 18 वर्षों से सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहा है। गणेश उत्सव केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी अवसर है। इसी उद्देश्य से इको-फ्रेंडली विसर्जन और पौधारोपण की पहल हर वर्ष की जा रही है। कार्यक्रम में गणपति बप्पा की महा आरती, महाभोग एवं महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। सभी ने बप्पा से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना की।

“गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।”

झांकी मार्गों पर घंटों जाम, ट्रैफिक प्लान फेल



पोलो ग्राउंड से मरीमाता और एयरपोर्ट से बड़ा गणपति तक वाहनों की कतार

इंदौर। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले झांकी चल समारोह के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। पोलो ग्राउंड से मरीमाता और एयरपोर्ट से बड़ा गणपति तक सड़कों पर

घंटों जाम लगा रहा। वाहनों की लंबी कतारों के बीच लोग काफी देर तक फंसे रहे। कई राहगीरों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग गए। जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना

करना पड़ा। यातायात पुलिस द्वारा बनाया गया ट्रैफिक प्लान भीड़ और वाहनों के दबाव के आगे बेअसर नजर आया। देर रात तक कई मार्गों पर यातायात धीमी गति से चलता रहा।

प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, 3 लाख दलाली मांगी तो ब्रोकर को दी धमकी

इंदौर। आलोक नगर निवासी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने प्लॉट की दलाली के 3 लाख रुपए मांगने पर दूसरे पक्ष के गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत कनाडिया पुलिस से की है। ब्रोकर का कहना है कि उसने न्याय नगर में 1500 वर्गफीट का प्लॉट ग्राहक को दिलवाया था। रजिस्ट्री होने के बाद जब उसने अपनी दलाली की रकम मांगी तो विवाद हो गया। शिकायतकर्ता संजय परमार ने पुलिस को बताया कि उसने नंदानगर निवासी कमलसिंह जादौन को न्याय नगर स्थित प्लॉट नंबर 384 दिलवाया था। करीब 1500 वर्गफीट के इस प्लॉट का सौदा 23 लाख रुपए में हुआ था। शिकायत के मुताबिक इसमें 20 लाख रुपए प्लॉट मालिक को और 3 लाख रुपए दलाली के तय हुए थे। इसके अलावा लाभ में प्रतिशत के हिसाब से अलग ब्रोकरेज देने की बात

भी हुई थी। संजय के अनुसार 13-14 सितंबर को प्लॉट की रजिस्ट्री पूरी हो गई। इसके बाद 16 सितंबर को उसने कमलसिंह से अपनी दलाली का भुगतान करने को कहा। आरोप है कि इस पर कमलसिंह गाली-गलौज करने लगा और पैसे मांगने की बात पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना के दौरान उसकी पत्नी भी मौजूद थी। संजय ने पुलिस को यह भी बताया कि इस सौदे में सूरज यादव और प्लॉट मालिक की ओर से मोटू नामक ब्रोकर भी जुड़े थे। उसने आशंका जताई है कि भविष्य में उसके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए कमलसिंह ज़िम्मेदार होगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने और उसकी बकाया दलाली दिलाने में सहयोग की मांग की है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।